न्यायालय–रिनी खान शेख, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(निर्णय दिनांक 19.02.2024)

प्रकरण संख्या–440/2023

फाईलिंग संख्या–1458/2023

सी.एन.आर. नंबर–MP6705–001732–2023

संस्थित दिनांक–28.08.2023

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

आरक्षी केन्द्र सेहराई, तहसील सेहराई, जिला अशोकनगर (म.प्र.) के अपराध क्रमांक 131/2023 अंतर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग–2 भारतीय दण्ड संहिता से उद्भूत प्रकरण।

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र सेहराई, तहसील सेहराई, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार
अभियुक्तगण	01. कन्चू उर्फ दीपक पुत्र कल्याण सिंह राजपूत, उम्र 33 साल– अचलगढ़, थाना सेहराई, जिला अशोकनगर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजीव लखेरा

अपराध की तारीख	16-08-2023
प्रथम सूचना रिर्पोट की तारीख	17-08-2023
आरोप पत्र की तारीख	28-08-2023
आरोपों की विरचना की तारीख	04-10-2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	04-10-2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	19-02-2024
निर्णय की तारीख	19-02-2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	19-02-2024

–अभियुक्त का विवरण–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्त या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	कन्चू उर्फ दीपक राजपूत पुत्र कल्याण सिंह राजपूत	निरंक	28.08.2023	धारा 294, 323 एवं 506 भाग–2 भा.दं.सं.	भा.दं.वि. की धारा 294 एवं 506 भाग–02 में **दोषमुक्त** एवं धारा 323 में **दोषसिद्ध**	निर्णय कण्डिका कमांक 19 के अनुसार	निरंक

<u>अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

<u>क. अभियोजन साक्षीगण–</u>

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
अ.सा.1	इरशाद खां	फरियादी
अ.सा.2	कृष्णकुमार	विवेचक साक्षी
अ.सा.3	डॉ. ए.के. शाक्य	चिकित्सक साक्षी

<u>ख. प्रतिरक्षा साक्षी–</u>

<u>ग. न्यायालयीन साक्षी– कोई नहीं।</u>

<u>अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची</u>

क. अभियोजन–

संख्या क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी–1 / अ.सा.–1..	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2 / अ.सा.–1	नक्शामौका
3	प्रदर्श पी–3 / अ.सा.–2	तलाशी पंचनामा
4	प्रदर्श पी–4 / अ.सा.–3	मेडिकल रिपोर्ट

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

ग. न्यायालयीन प्रदर्श– कुछ नहीं।

घ. आवश्यक वस्तुए–

संख्या क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	0	कुछ नहीं।

1. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 323 एवं 506 भाग–02 भा.दं.वि. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप हैं कि उसने घटना दिनांक 16.08.2023 को रात्रि के 09 बजे से 09:30 बजे मध्य टंकी के पास ग्राम अचलगढ़ सेहराई में लोकस्थान पर या उसके समीप फरियादी इरशाद उर्फ समीर को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी के साथ पत्थर से मारपीट कर उसे सवेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 16.08.2023 को रात्रि 09 बजे के लगभग फरियादी इरशाद और समीर कुछ काम से अपने मामा साबत खां के घर गया हुआ था तभी वहां पर उसके गांव का कंचू उर्फ दीपक आया और पुरानी रंजिश पर से उसके भाई असरफ को गालियां देने लगा, उसने अपने भाई असरफ को घर के अंदर भेज दिया और वह पैदल पैदल अपने घर की तरफ आने लगा तभी आरोपी कंचू उर्फ दीपक उसके पीछे–पीछे आया और थोड़ी देर बाद टंकी के पास पहुंच कर कंचू ने पीछे से उसके सिर में पत्थर मारा जिससे उसके सिर में चोट होकर खून निकल आया था, उसने पलट कर देखा तो उसके हाथ में पत्थर था। वह चिल्लाया तो गांव का राजू व भाई सलमान आ गये थे उन्हें देखकर आरोपी भागने लगा और कहने लगा कि आज तो बचा लिया आइंदा परिवार के बीच में आये तो जान से खत्म कर देगा। आरोपी गांव की तरफ भाग गया था। सिर में चोट होने से उसे राजू, व सलमान थाना लेकर आये थे। फरियादी ने आरोपी के विरूद्ध थाना सेहराई में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध कमांक 131/2023 अंतर्गत धारा

294, 323 एवं 506 भाग–02 भा.दं.वि. का अपराध आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था। तत्पश्चात् आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3. उपरोक्त आरोपित अपराध का आरोप अभियुक्त के विरुद्ध लगाये जाने पर उसने अपराध करने से अस्वीकार किया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर धारा 313 दं.प्र.सं. के अधीन उसका परीक्षण किए जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए, मामले में झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4. **प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैंः–**

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 16.08.2023 को रात्रि के 09 बजे से 09:30 बजे मध्य टंकी के पास ग्राम अचलगढ़ सेहराई में लोकस्थान पर या उसके समीप फरियादी इरशाद उर्फ समीर को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के साथ पत्थर से मारपीट कर उसे सवेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कं.–1 का निराकरण

5. इस संबध में फरियादी इरशाद खां (अ.सा.–1) एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। तब ऐसी स्थिति

में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया था। फलस्वरूप अभियोजन संदेह से परे इस प्रश्न को साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने फरियादी इरशाद को घटना दिनांक को लोक स्थान या उसके समीप पर मां–बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

विचारणीय प्रश्न कं.–2 का निराकरण

6. प्रकरण में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या फरियादी इरशाद को दिनांक 16.08.2023 को रात्रि 09:00 बजे के लगभग टंकी के पास ग्राम अचलगढ़ सेहराई में उपहति कारित हुई थी। इस संबंध में डॉ. ऐ.के. शाक्य (अ.सा.–3) का कथन है कि वह दिनांक 16.08.2023 को सी.एच.सी. सेहराई में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत इरशाद को मेडिकल परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। आहत के परीक्षण में सिर के पीछे की तरफ एक फटा हुआ घाव जिसका रक्त बह रहा था, पाया गया था, जिसका आकार 1 गुणित 1 से.मी. था। उसके अभिमतानुसार उक्त चोट कठोर एवं खुरदुरी वस्तु के प्रहार से परीक्षण से 6–8 घंटे के भीतर की होना पाई गई थी। उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी। मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी. 04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार डॉ. ऐ.के. शाक्य (अ.सा.–3) की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि फरियादी इरशाद को घटना दिनांक को चोट कारित हुई थी।

7. उल्लेखनीय है कि फरियादी इरशाद (अ.सा.–1) के द्वारा अपने कथनों में घ टना दिनांक को उसे उपहति कारित होने संबंधी कथन किये गये है। उक्त साक्षी के कथनों की पुष्टि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 01 की सम्पोषक अभिसाक्ष्य से भी होती है। फरियादी को घटना दिनांक को ही उपहति कारित होने के संबंध में भी कोई चुनौती नहीं दी गयी है। फलतः उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित है कि इरशाद को घटना दिनांक

को उपहति कारित हुई थी।

8. प्रकरण में अब यह देखना है कि फरियादी इरशाद को उपहति अभियुक्त द्व ारा स्वेच्छया कारित की गयी थी। इस संबंध में फरियादी इरशाद (अ.सा. –1) ने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी दीपक उसके गांव का है। घ टना लगभग 2–3 वर्ष पूर्व की होकर रात्रि 09:00–09:30 बजे की स्कूल के पास अचलगढ़ है। घटना दिनांक को दीपक की अशरफ से बहस हो रही थी। उसने असरफ से कहा कि दीपक शराब पिये है, इससे बहस मत करो और घर चले जाओ। इसक बाद दीपक व अशरफ घर चले गये थे फिर वह अपने घर जाने लगा तभी पीछे से आकर दीपक से पत्थर उसके सिर में मार दिया था। पत्थर लगने से चोट होकर खून निकल आया था। राजू और सलमान उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गये थे। उसने थाना सेहराई में घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घ टनास्थल बताया था। नक्शा मौका प्रपी–02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के उक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डित रहे हैं।

9. साक्षी कृष्ण कुमार (अ.सा. 2) का कहान है कि वह दिनांक 17.08.2023 को थाना सेहराई में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 131/2023 धारा–294, 323 एवं 506 भाग–02 भादवि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को फरियादी इरशाद उर्फ समीर के बताये अनुसार घ टनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रपी–02 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा इरशाद, सलमान, असरफ एवं राजू के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। साक्षीगण के समक्ष तलाशी पंचनामा प्रपी–03 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के उक्त कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं।

10. अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह बचाव लिया गया है कि

उनके तथा फरियादी पक्ष के मध्य रंजिश चली आ रही है, जिसके कारण फरियादी ने उसके विरूद्ध यह झूठा प्रकरण लगाया है। परन्तु इस संबंध में यह ज्ञात है कि रंजिश एक ऐसी दोधारू तलवार है, जो कि घटना का कारण भी बन सकती है और इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ने इसी कारण से इसी रंजिशवश यह घटना कारित की हो। फलस्वरूप अभियुक्त का उक्त बचाव स्थिर किये जाने योग्य नहीं है।

11. बचाव पक्ष के द्वारा ऐसी कोई तथ्यात्मक प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य गंभीर विवाद विद्मान होना और उस विवाद के चलते फरियादी द्वारा अभियुक्त को झूठे मामले में फंसाये जाने की संभावना पर पहुंचा जा सके तब यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि फरियादी द्वारा अभियुक्त को मिथ्या अलिप्त किया गया है।

12. उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मात्र आहत इरशाद (अ.सा.–1) की साक्ष्य ही अखण्डित होकर विश्वसनीय रही है। साक्षी विवेचक कृष्ण कुमार (अ.सा.–2) द्वारा सम्पूर्ण विवेचना को प्रमाणित किया गया है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। ज्ञातव्य है कि **धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** यह प्रावधानित करती है कि ''किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।'' प्रकरण में स्वयं आहत इरशाद (अ.सा.–1), अभियुक्त द्वारा चोट कारित करने के संबंध में कथन प्रस्तुत कर रहा है एवं उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति का भी कोई संदेह नहीं है एवं ऐसी भी कोई परिस्थिति अभिलेख पर नहीं है कि वह असत्य कथन कर रहा है एवं स्वयं आहत साक्षी की साक्ष्य का विधि में एक विशेष स्तर होता है, क्योंकि उक्त गवाह की घटना स्थल पर उपस्थिति की इनबिल्ट गारंटी रहती है और उक्त साक्षी असल अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को असत्य रूप से फंसायेगा, इसकी सम्भावना भी कम रहती है। इस कारण आहत गवाह के कथनों पर विश्वास किया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **अब्दुल सैय्यद विरूद्ध स्टेट आफ एम.पी.**

(2010) 10 एससीसी 259 में उक्त सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जो कि प्रकरण की परिस्थितियों पर भी लागू होता है।

13. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरांत यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा ही आहत इरशाद के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित की गई थी। जहां तक अभियुक्त द्वारा आहत इरशाद को स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन कहानी से या साक्षीगण के कथनों से एवं अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव से यह कहीं भी प्रकट नहीं हुआ है कि अभियुक्त को आहत इरशाद द्वारा किसी प्रकार का गंभीर/अचानक प्रकोपन उत्पन्न हुआ हो, न ही अभियुक्त को आहत के उपर प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो जावे। तब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा किया गया कृत्य सोच–समझकर किया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी इरशाद को स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

14. अतः अभियोजन साक्षीगण की सम्पुष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी इरशाद के साथ पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

<u>विचारणीय प्रश्न कं.–3 का निराकरण</u>

15. जहां तक अभियुक्त द्वारा फरियादी इरशाद को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित करने के उद्देश्य से आपराधिक अभित्रास कारित करने का प्रश्न हैं। इस संबंध में साक्षी इरशाद (अ.सा.–1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी घटना दिनांक को कह रहा था कि आज तो पत्थर मारा है आगे मिला तो जान से मार देगा। उक्त साक्षी ने इस संबंध में कोई कथन नहीं किये है कि आरोपी की कथित धमकी से फरियादी को कोई भय या संत्रास कारित हुआ था। धारा 506 भाग–2 भा.द.वि. के

अपराध को घटित करने के लिये यह आवश्यक है कि जो धमकी दी गई है उसके क्रियान्वयन की संभावना हो। अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी तत्समय कोई हथियार रख कर दी गई हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में धमकी के क्रियान्वय की संभावना दर्शित नहीं होती हैं और जान का खतरा उत्पन्न होने की संभावना भी दर्शित नहीं हैं। इस संबधं में न्याय दृष्टांत **कैलाश नारायण वि. स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1990 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन–9** उल्लेखनीय हैं। जिसमें माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 506 भाग–2 भा.द.वि. के अपराध को गठित करने के लिये धमकी मात्र पर्याप्त नहीं है बल्कि उक्त धमकी के क्रियान्वयन की संभावना भी होना चाहिये और जान का खतरा भी उत्पन्न होना चाहिये। परंतु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपी द्वारा फरियादी इरशाद को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया था।

16. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 16.08.2023 को रात्रि 09:00 से 09:30 बजे के मध्य टंकी की पास ग्राम अचलगढ़ सेहराई में फरियादी इरशाद उर्फ समीर को पत्थर से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने फरियादी को लोकस्थान पर या उसके समीप मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त को धारा 294 एवं 506 भाग–02 भा.दं.वि. के आरोप में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.वि. के आरोप में **दोषसिद्ध** पाया जाता है।

17. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों पर विचार किया गया। अभियुक्त ने आहत इरशाद के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की है जो अभियुक्त के आपराधिक दुस्साहस कृत्य को प्रत्यक्षतः दर्शित करता है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं समझता है।

18. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 248(2) के अंतर्गत दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुने जाने के लिए निर्णय कुछ देर के लिए स्थगित किया गया है।

(रिनी खान शेख)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुंगावली जिला अशोकनगर म.प्र.

<u>पुनश्चः</u> –

19. उभय पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त गरीब परिवार का है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। उनके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अतः अभियुक्त के साथ नरम रूख अपनाते हुए उसे कम से कम दण्ड दिया जावे। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त को कठोर दण्ड दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। विचारोपरान्त यह न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध निम्नानुसार दण्डादेश पारित करता है :–

कमांक	अभियुक्त का नाम	धारा	कारावास की अवधि	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिकम
01	कन्चू उर्फ दीपक पुत्र कल्याण सिंह राजपूत	धारा 323 भां.दं.वि.	न्यायालय उठने तक की सजा	200/– रूपये	10 दिवस का कठोर कारावास

20. अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने की दशा में 10 दिवस का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावेगा।

21. अभियुक्त वर्तमान प्रकरण में निरोध में नहीं रहा है। अतः अभियुक्त के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 428 के अंतर्गत प्रमाण पत्र निरंक बनाया जाकर प्रकरण के अभिलेख में संलग्न किया जावे।

22. अभियुक्त को निर्णय की प्रति पृथक से निःशुल्क प्रदान की जावे।

23. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी बंधपत्र व प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किए जाते है।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

दिनांक— 19.02.2024
स्थान — मुंगावली

रिनी खान शेख
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुंगावली जिला—अशोकनगर(म.प्र.)

RINI KHAN

Digitally signed by RINI KHAN
Date: 2024.02.19 16:31:15 +0530